न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 48/19 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00122

उनवान

छिद्दी पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. बहादुर पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी खटौटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
3. सरंपच ग्राम पंचायत गादौली, बुढवारी, डहरा पंचायत समिति नदबई।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 का0 अ0 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर नदबई दि0 13.08.2019 प्र.सं. 04/2011 उनवानी बहादुर बनाम छिद्दी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विमल सिंह उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक– 28.02.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न सहायक कलक्टर, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम खटौटी, रैना, गादौली में स्थित है। जिसका प्रतिवादी संख्या 02 तथा इतने ही हिस्से में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व प्रतिवादी /अपीलाण्ट, खातेदार काश्तकार रेवन्यू के रिकार्ड में दर्ज हैं। विवादित आराजी वाके ग्राम खटौटी, गादौली, रैना की एक रिलीज डीड दिनांक 16.12.2010 को प्रतिवादी संख्या 02 से वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने अपने हक में करा लिया है, जो प्रतिवादी/अपीलाण्ट के खिलाफ वातिल व बेअसर है, क्योंकि उक्त विवादित आराजी पुश्तैनी है। प्रतिवादी संख्या 02 की आराजी को वादी/रैस्पो0 संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 01/अपीलाण्ट व प्रतिवादी संख्या 02 की सहमति से वाहिस्सा बराबर काश्त करते हुये

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

चले आ रहे हैं। वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट सगे भाई हैं आरैर प्रतिवादी संख्या ताऊ का लडका है, जो शामिल रहकर वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट/अपीलाण्ट के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। यह रिलीज डीड विवादित आराजी की पुस्तैनी होने के कारण स्टाम्प ड्यूटी मुताबिक रजिस्ट्री का चस्पा होने से उक्त रिलीज डीड का कोई महत्व नहीं है, और यह रिलीज डीड ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी की संज्ञा में नहीं आती है। बल्कि वैल्युऐशन ऑफ प्रोपर्टी की संज्ञा में आती है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 अपने हक का त्याग करता है तो नजदीक हिस्सेदार वादी/रैस्पो0 संख्या 01 व प्रतिवादी/अपीलाण्ट वाहिस्सा बराबर विरासतन हकदार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन हैं। अतः वाद प्रस्तु कर विवादित आराजीयात वाके ग्राम खटौटी, रैना व गादौली पर प्रतिवादी संख्या 02 के स्थान पर वादी/रैस्पो0 संख्या 01 का प्रतिवादी/अपीलाण्ट के साथ वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्ताकर घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी है। यह है कि जुगला पुत्र वख्ता जो कि दावे में प्रतिवादी संख्या 02 है एवं वर्तमान में फौत हो चुका है, द्वारा अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी को नियमानुसार जरिये रजिस्टर्ड रिलीजडीड अपीलाण्ट के हक में निष्पादित कर दिया था, तथा तभी से अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि हक त्याग पत्र एक पंजीकृत दस्तावेज है एवं जब तक उक्त पंजीकृत हक त्याग को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक राजस्व न्यायालय उसे बातिल व बेअसर नहीं कर सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित रिलीज डीड का कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

महत्व नहीं मानते हुये एवं विवादित आराजी पर उभयपक्ष का कब्जा काश्त मानते हुये, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के वर्ग 2 के उप वर्ग 7 श्रेणी के अनुसार उभयपक्ष को विवादित आराजी में बराबर का खातेदार काश्तकार माना है। हम पाते हैं कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 किसी खातेदार के निर्वसीयत मरने के उपरान्त ही लागू होगी। परन्तु हस्तगत प्रकरण में मृतक खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी की रिलीज डीड अपीलाण्ट के पक्ष में कर रखी है। इसके अलावा रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित रिलीज डीड को सक्षम न्यायालय से निरस्त भी नहीं कराया है, बिना रिलीज डीड निरस्त कराये रैस्पो0 को विवादित आराजी में कोई स्वत्व नहीं बनता है। रिलीज डीड भी खून के रिश्ते में होना प्रमाणित है। इसके अलावा यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश कयासो के आधार पर पारित किया है। अपीलाधीन आदेश में अंकित है कि "वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादी व प्रतिवादी का विवादित आराजीयात पर बराबर कब्जा काश्त है" परन्तु उक्त तथ्य को साबित करने हेतु उनके द्वारा कौनसा दस्तावेजी साक्ष्य देखा गया, कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार हम उभयपक्ष को पुनः समग्र साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुये, पुनः युक्ति युक्त निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित मानते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य समझतें हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.08.2019 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्टभूमि में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.03.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर